[मिसल]	वकील उभयपक्ष उप० प्रा०पत्र O7 R11 C.P.C. पर बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय द२० पत्रावली दि० 19-12-19 को पेश हो।
19-12-2019	वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते निर्णय द२० पत्रावली दि० 24-12-2019 को पेश हो।
24-12-19	वकील उभयपक्ष उप०। समयाभाव के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 6-1-2020 को पेश हो।
6-1-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21-1-2020 को पेश हो। रीडर
21-1-2020	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित हैं। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2020 को पेश हो। रीडर
3-2-2020	वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र दि० 21-11-19 तहत आदेश 7 नियम 11 C.P.C. पर बहस पुनः सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रा० दि० 10-2-2020 को पेश हो।
10-2-2020	वकील उभयपक्ष उप०। प्रा०पत्र दि० 21-11-19 तहत आदेश 7 नियम 11 C.P.C. स्वीकार कर प्रति०सं० 1 ल० 4 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम व संशोधित काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दि० 25-2-2020 को पेश हो।

नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ता[illegible] में जारी हु[illegible]	तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
		25-2-2020 प[illegible] [illegible] हुई/अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य का [illegible] है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] पर हैं/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में [illegible] है। अतः पत्रावली गतादेशानुसार दि० 27-2-2020 को पेश हो। [signature] रीडर 27-2-2020 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादी उपस्थित नहीं है। वकील प्रतिवादीगण उपस्थित हैं। प्रतिवादी रामखिलाडी के वकील ने प्रा०पत्र प्रस्तुत कर साक्ष्य कराने हेतु समय चाहा है। कई बार आवाज दिलाने पर भी वादी व वकील वादी उपस्थित नहीं हुए है। अतः वादी का दावा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
54/2009	6.7.2009	10.2.2020
निश्रीलाल	बनाम	रामखिलाडी वगैरा

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थित :– श्री धीरज पल्लीवाल, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एड0, प्रतिवादी सं.2,3,4 की ओर से
श्री भागचंद पल्लीवाल,एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 5,6 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी वाद में प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से दिनांक 21.11.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0 बाबत काउन्टर क्लेम इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त उनवानी प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हक मे हुए विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दो किता तारीखी 9.3.11 को नल एवं बोईड कर निरस्त किये जाने बाबत काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। जिस बाबत सुनवाई के क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त दोनो विक्रय पत्र तारीखी 9.3.2011 को नल एण्ड बोईड किये जाने बाबत दावा न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी मे भी प्रस्तुत कर रखा है। ऐसी स्थिति मे भी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने अपने काउन्टर क्लेम मे स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन का अनुतोष भी वादग्रस्त भूमि बाबत चाहा है। उक्त अनुतोष खातेदार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जबकि प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 4 वादग्रस्त भूमि के खातेदार व सहखातेदार भी नही है। इस कारण भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम व संशोधित काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावें।

इस प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की ओर से दिनांक 3.12.19 को जबाब प्रस्तुत किया गया। अपने जबाब में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित दो किता विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 9.3.11 दावा दायरी के बाद वादी ने दौराने दावा गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के हक मे तहरीर तकमील करवा दिये है। लिसपेंडेंस के सिद्धान्त के अनुसार दौराने दावा किये गये हस्तानान्तरण बोईड होते है और इस बाबत सुनवाई का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को रहता है, जिसमे दावा चल रहा होता है। मौजूदा प्रकरण इस माननीय न्यायालय मे लम्बित होने के

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

कारण इसी माननीय न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। अपर जिला न्यायाधीश महोदय के यहॉ चल रहे दावे के बाबजूद मौजूदा दावे में काउन्टर क्लेम चलने योग्य है। दावा मे पेश काउन्टर क्लेम के जरिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने कोई ऐसा अनुतोष नही चाहा है जो कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता हो, काउन्टर क्लेम खारिज किये जाने योग्य नही है। वैसे कानूनन एक प्रतिवादी अन्य प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम का जबाब पेश करने का अधिकारी नही होता है। जबाब के विशेष विवरण मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अंकित किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी. पी.सी. के किसी उप नियम (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) की परिधी मे नही आता है। वादी ने गलत रूप से भूमि दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को भूमि बेची है और अब वादी के बहकावे मे व मिली भगत से मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 ने प्रस्तुत किया हैं जो काबिल खारिज है। काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य नही है। काउन्टर क्लेम सही या गलत इसका निर्धारण विवाद्यक बनने व सम्पूर्ण साक्ष्य उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत होने के बाद ही तय किया जा सकता है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा दिनांक 9.3.11 को प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हक मे हुए रजिस्टर्ड बेचान को नल एंड बोईड कर निरस्त किये जाने बाबत प्रस्तुत वाद मे काउन्टर क्लेम पेश किया है जो निरस्त होने योग्य है क्योकि दिनांक 9.3.11 को हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्रो को निरस्त करने सम्बधित दावा प्रतिवादी संख्या 1 रामखिलाडी द्वारा न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी मे भी प्रस्तुत किया हुआ है। प्रतिवादीगण भूमि के सहखातेदार नही है एवं वादग्रस्त भूमि पैतृक भी नही है बल्कि वादी मिश्रीलाल की स्वअर्जित भूमि है जिसे उसे बेचने का पूर्ण अधिकार है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम निरस्त फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के विद्वान वकीलों ने अपनी बहस मे कहा कि दौराने दावा गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के हक मे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.3.11 को करवाये गये है जो बोईड है। इनके सम्बन्ध मे सुनवाई का क्षेत्राधिकार उसी न्यायालय को रहता है। जहॉ दावा विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. मे दिये गये प्रावधानों की परिधि मे नही आता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम सही तरीके से प्रस्तुत किया गया है। जिस पर इस प्रार्थना पत्र के आधार पर निर्णय नही होकर मूल दावे मे तनकी कायम होकर उस पर साक्ष्य सबूत

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

लिये जाकर ही निर्णय होना है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वादी ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने 1/2 हिस्से की भूमि पर अपना कब्जा बताते हुए भूमि मे 1/2 हिस्से की खातेदारी चांही है। वादी मिश्रीलाल ने जो कि एक रिकार्डेड एवं काबिज काश्त खातेदार है। दिनांक 9.3.2011 को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष में विधिवत रूप से विक्रय पत्र रजिस्टर्ड करवाया है। हमारा यह मानना है कि एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को है। यह इस बात से भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी रामखिलाडी ने उपरोक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 9.3.2011 को निरस्त करने के लिए न्यायालय अपर जिला जजी गंगापुर सिटी मे वाद प्रस्तुत किया हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पक्ष मे हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना विधि से वर्जित है। अतः प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 द्वारा दिनांक 21.11.19 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम व संशोधित काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.2.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)
सत्यमेव जयते

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.03.06 17:04:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: